ई मेल

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद ।

पत्रांकः–मा0/ 3641-45 /2020–21 दिनांक 11-09-2020

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
समस्त सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय,
जनपद–गाजियाबाद ।

जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की अध्यक्षता में आज दिनांक 11–09–2020 को इंडिपेंडेंट स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया (गाजियाबाद) के पदाधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय पर बैठक आहूत की गई । बैठक में जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के द्वारा समस्त निजी विद्यालयों को कड़े निर्देश दिए गए कि **04 जुलाई, 2020 का शासनादेश जो अनलॉक–2 के क्रम में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालय के सम्बन्ध में है, का कठोरता से अनुपालन समस्त स्कूलों द्वारा किये जाए तथा प्रत्येक विद्यालय इस शासनादेश को अपने स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगें ।** इसके साथ–साथ विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर शासनादेश चस्पा करेंगे तथा समस्त अभिभावकों में व्यापक प्रचार–प्रसार करेगें ताकि आम व्यक्ति को भी शासनादेश के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकें । साथ ही जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के द्वारा निर्देशित किया गया कि शासनादेश की मंशा के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय एक फॉर्मेट डवलप करेंगे, जिसमें फीस जमा करने वाले व फीस जमा न करने वाले अभिभावकों से आवेदन–पत्र के आधार पर विचार करते हुए फीस किश्तों में जमा करने पर निर्णय लेगे और पेमेंट प्लान बना कर अभिभावकों को देंगे । यदि किसी अभिभावक के आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें तथा अभिभावकों को भी उसकी लिखित सूचना देंगें । जिससे अद्योहस्ताक्षरी अस्वीकृत पत्रों की समीक्षा कर जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को अवगत करायेगें ।

उक्त के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–1021/ 15–7–2020–1(20)/2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 04 जुलाई, 2020 के क्रम में कार्यालय के पत्रांक व्यै0स0/1386–90/2020–21 दिनांक 04–07–2020 के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त उल्लेखित शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2020 में उल्लेखित है कि "लॉक डाउन के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों/आर्थिक कठिनाईयों के दृष्टिगत जो अभिभावक सम्प्रति शुल्क जमा करने में अपने आपको असमर्थ पाते है उनके द्वारा शुल्क जमा न किए जाने के कारणों/परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इस आशय का एक लिखित प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा इस प्रार्थना पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आसान किश्तों में शुल्क लिया जाय। परन्तु यदि तब भी किसी अभिभावक द्वारा शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो उस छात्र को ऑनलाइन पठन–पाठन से वंचित न किया जाय और न ही इस आधार पर किसी छात्र/छात्रा का नाम विद्यालय से काटा जाय", सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

यदि शुल्क इत्यादि के सम्बन्ध में किसी बिन्दु विशेष पर कोई पक्ष क्षुब्द है तो उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) 2018 की धारा–8(1) के अन्तर्गत गठित जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष दूसरे पक्ष द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है । इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला शुल्क नियामक समिति द्वारा एक सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लिया जाय"।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 2020 का कठोरता से अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा छात्र/छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके पठन–पाठन में व्यवधान न किया जाये और किसी भी दशा में किसी भी छात्र/छात्रा को ऑनलाईन क्लास से वंचित न किया जाये । साथ ही उक्तानुसार जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक–उक्त शासनादेश ।

(रविदत्त)
जिला विद्यालय निरीक्षक
गाजियाबाद ।

D:\drive f\f\CBSE 1.doc3966

Scanned with CamScanner

पृ0सं0:–मा0/ /2020–21 उक्त तिथि को ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

2– शिक्षा निदेशक(मा0) शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड उ0प्र0 लखनऊ।

3– संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मण्डल मेरठ ।

4– जिला सूचना अधिकारी गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को जनहित में निःशुल्क अपने सम्मानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें । जिससे सर्वसाधारण को जानकारी हो सकें ।

(रविदत्त)
जिला विद्यालय निरीक्षक
गाजियाबाद।

Scanned with CamScanner

संख्या–1021/15–7–2020–1(20)/2020

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3–सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4–समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश।

5–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 04 जुलाई, 2020

विषयः–अनलॉक–2 के कम में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के पत्र संख्या–शिविर/10651/2020–21 दिनांक 01.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–195/एक–11–2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वायरस के संकमण के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के कारण विद्यालय बन्द है।

3– गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–30–2020–डी0एम0–1(ए) दिनांक 29.06.2020 द्वारा कोविड–19 के दौरान अनलॉक–2 के संबंध में गतिविधियों को प्रारम्भ किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गए है। इसी कम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के सर्कुलर संख्या–1686/2020/सी0एक्स–3, दिनांक 30.06.2020 द्वारा अनलॉक–2 के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए है।

4– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित तथा छात्रों के व्यापक हित एवं सत्र नियमित रखने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 06.07.2020 से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण तथा नये सत्र में प्रवेश इत्यादि के कार्य हेतु प्रधानाचार्य द्वारा शैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सहयोग हेतु बुलाये जाने की अनुमति निम्न शर्तों सहित प्रदान की जाती हैः–

1. शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों में कोविड–19 के संकमण से बचाव हेतु प्रतिदिन नियमित रूप से विद्यालय भवन, फर्नीचर आदि को पूर्णतः सैनिटाइज कराया जाय।
2. विद्यालय आने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जाय। यदि किसी कार्मिक का टम्प्रेचर सामान्य से अधिक हो तो उसे विद्यालय में प्रवेश न दिया जाय तथा इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करायी जाय।
3. कोविड–19 से बचाव हेतु सैनीटाइजर तथा नियमित हैण्डवाश हेतु साबुन आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

Scanned with CamScanner

4. कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. 06 जुलाई के उपरान्त यथा शीघ्र शिक्षक–अभिभावक संघ की बैठक आहूत की जाय, जिसमें ऑनलाइन पठन–पाठन की व्यवस्था से उन्हें अवगत कराते हुए ऑनलाइन पठन–पाठन हेतु प्रेरित किया जाय।
6. ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु अधिकारियों, प्रधानाचार्यो, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को Webinars तथा Online tutorial इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
7. नवीन सत्र हेतु विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाय।
8. यथा आवश्यकता विद्यालयों में स्टॉल लगवाकर विद्यार्थियों हेतु पाठ्य–पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।
9. प्रत्येक कक्षा हेतु प्रतिदिन निर्धारित कक्षावार/विषयवार समय–सारणी बनाकर अधिकतम 15 जुलाई, 2020 तक ऑन लाइन शिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जाय।
10. माध्यमिक विद्यालय जिस शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं, यदि उसके द्वारा उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन पठन–पाठन हेतु कोई विशिष्ट दिशा–निर्देश निर्गत किए गए है तो उनके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6– मासिक शुल्क लिए जाने विषयक शासनादेश संख्या–736/पन्द्रह–7– 2020–1(20)/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020, लॉकडाउन की अवधि में परिवहन शुल्क न लिए जाने विषयक शासनादेश संख्या–747/पन्द्रह–7–2020–1(20)/ 2020 दिनांक 21 अप्रैल, 2020 तथा शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु शुल्क वृद्धि न किए जाने विषयक शासनादेश संख्या–756/पन्द्रह–7–2020–1(20)/2020 दिनांक 27 अप्रैल, 2020 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

7– प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन की अवधि में वित्त विहीन विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों को समय से वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के आदेश अशासकीय पत्र संख्या–318/पी0एस0/एस0ई0/2020, दिनांक 30–03–2020 तथा अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन दिए जाने संबंधी शासनादेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों, समस्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों, अन्य अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–249/पी0एस0एम0एस/2020, दिनांक 04–04–2020 द्वारा दिये गये हैं।

8– शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय अभिभावक जो नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे है उनके द्वारा भी शासनादेश के अनुसार मासिक रूप से शुल्क जमा नहीं की जा रही है, जबकि विद्यालयों को शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को वेतन का भुगतान किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए है। अतः नियमित रूप से वेतन आदि प्राप्त कर रहे अभिभावक तथा ऐसे अभिभावक जो मासिक शुल्क जमा करने का सामर्थ्य रखते हों यथा नियमित वेतन भोगी सरकारी, सार्वजनिक उपकम एवं अन्य अभिभावक जो इनकम टैक्स देते हों, के द्वारा मासिक शुल्क नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर जमा करने की कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त लॉक डाउन के कारण उत्पन्न विषम

Scanned with CamScanner

परिस्थितियों/आर्थिक कठिनाईयों के दृष्टिगत जो अभिभावक सम्प्रति शुल्क जमा करने में अपने आपको असमर्थ पाते है उनके द्वारा शुल्क जमा न किए जाने के कारणो/परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इस आशय का एक लिखित प्रार्थना पत्र संबंधित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा इस प्रार्थना पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आसान क़िश्तों में शुल्क लिया जाय। परन्तु यदि तब भी किसी अभिभावक द्वारा शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो उस छात्र को ऑनलाइन पठन–पाठन से वंचित न किया जाय और न ही इस आधार पर किसी छात्र का नाम विद्यालय से काटा जाय।

यदि शुल्क इत्यादि के संबंध में किसी बिन्दु विशेष पर कोई पक्ष क्षुब्द है तो उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) 2018 की धारा–8(1) के अन्तर्गत गठित जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष दूसरे पक्ष द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला नियामक समिति द्वारा एक सप्ताह में नियमानुसार निर्णय लिया जाय।

9– यह निर्देश समस्त शिक्षा बोर्ड के समस्त विद्यालयों पर लागू होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

05.07.2020

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1021(1)/15–7–2020–1(20)/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 को मा0 उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर्यका अखौरी)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner